20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY

Rs.2 कोर्ट फी COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES (×5)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

I/अपील/कटनी/भू.रा./2018/1990

प्रकरण क्रमांक :— ..../2018/अपील

आर-एल-सिंह
23-3-18
5-4-18

23-3-18

जानकीबाई पुत्री श्री गनेश धुर्वे निवासी वार्ड नम्बर 14 घोबीमाल पोस्ट चन्दवाही तहसील सहपुरा जिला डिण्डोरी म. प्र. —अपीलाण्ट

बनाम

म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला कटनी म. प्र. —रिस्पोडेण्ट

आर-एल-सिंह
22-3-18

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 12/02/2018 प्रकरण क्रमाक 1357/2016—17/अपील न्यायालय अपर कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर म. प्र.। न्यायालय कलेक्टर महोदय कटनी का प्रकरण क्रमांक 29/अ—21/2016—17 आदेश दिनांक 27/06/2017।

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति..........
पृष्ठ क्र.......... को
दिनांक 23/3/18
हस्ताक्षर व नाम..........

महोदय,

अपीलाण्ट की ओर से अपील प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :—

1— यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अपीलाण्ट के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भनपुरा कलां पटवारी हल्का नम्बर 11 राजस्व निरीक्षक मण्डल उमरियापान तहसील ढीमरखेड़ा जिला डिण्डोरी मध्य प्रदेश मे स्थित सर्वे नम्बर 192/1

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/कटनी/भू0रा0/2018/1990

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 1357 /अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 12-2-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रकरण अपीलार्थिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व आधिपत्य की ग्राम भनुपरा कलां पटवारी हल्का नं0 11 राजस्व निरीक्षक मंडल उमरियापान तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं0 192/1 रकबा 7.030 हैक्टर एवं सर्वे नं0 192/2 रकबा 7.020 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति देने अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेज़ा । तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया ।अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन से सहमति जताते हुए प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 27-6-17 द्वारा अपीलार्थी का भूमि विक्रय की अनुमति	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि...कों आदि के हस्ताक्षर
	हेतु प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर कि वह डिण्डोरी जिले की निवासी है तो उसके द्वारा कटनी जिले में भूमि क्यों क्रय की गई स्पष्ट नहीं होना मानते हुए तथा विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग शेष भूमि को उपजाउ बनाने हेतु दिए गए कारण को तर्क संगत न मानते हुए आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।	
	3/ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । अभिलेख को देखने से यह पाया जाता है कि जिन आधारों पर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थिनी का आवेदन निरस्त किया है वह औचित्यपूर्ण नहीं है । संहिता में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि कोई व्यक्ति जहां का निवासी है उस स्थान के अलावा अन्य स्थान पर भूमि क्रय नहीं कर सकता और क्रय की गई भूमि का विक्रय नहीं कर सकता । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार से 2 बार जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । जांच उपरांत तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जो जांच प्रतिवेदन दिया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदित भूमि आवेदिका/विक्रेता के निवास स्थान से 200 किलोमीटर दूर है आवेदिका ग्राम धोबीमाल तहसील शहपुरा जिला डिण्डोरी में रहती है जहां से ग्राम भनपुरा कलां स्थित आवेदित भूमि पर कृषि करने में	

(3)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/कटनी/भू0रा0/2018/1990

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	काफी असुविधा होती है । विक्रेता द्वारा उक्त भूमि की कीमत गाइड लाइन से अधिक प्राप्त होने के कारण विक्रय की जा रही है। तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में अपीलार्थिनी द्वारा आवेदित भूमि के विक्रय किए जाने की अनुशंसा की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण जिलाध्यक्ष को भेजा गया है । क्रेता गैर आदिवासी द्वारा भी भूमि को वर्तमान गाइड लाइन के हिसाब से क्रय की जाने की बात कलेक्टर के समक्ष कही गई है । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त प्रतिवेदनों को अनदेखा करते हुए बिना किसी पर्याप्त आधार के अपीलार्थिनी के आवेदन को निरस्त किया गया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी आलोच्य आदेश पारित करते समय उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । चूंकि प्रश्नाधीन भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि अपीलार्थिनी द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की गई है तथा अपीलार्थिनी आवेदित भूमि से लगभग 200 किलोमीटर दूर निवास करती है एवं उसके साथ किसी प्रकार का कोई छलकपट होना तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदनों में नहीं दर्शाया गया है तथा उसे प्रचलित गाइड लाइन के मान से अधिक मूल्य	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्राप्त हो रहा है। इस कारण अपीलार्थिनी को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थिनी जानकी बाई को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भनुपरा कलॉ पटवारी हल्का नं0 11 राजस्व निरीक्षक मंडल उमरियापान तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी स्थित आवेदित भूमि के स्थान पर भूमि खसरा नं0 192/1 रकबा 7.030 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रस्तावित गैर आदिवासी क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य अपीलार्थिनी/विक्रेता को अदा किया जायेगा । वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन या बाजार मूल्य से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है वे सुनिश्चित करें कि गैर आदिवासी क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थिनी के खाते में जमा की जायेगी । परिणामत: अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/कटनी/भू0रा0/2018/1990

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-18	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया । उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थिनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने भूमि-स्वामित्व की ग्राम भनपुरा कलां पटवारी हल्का नं0 11 रा0 नि0 मंडल उमरियापान तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं0 192/1 रकबा 7.030 हैक्टर एवं खसरा नं0 192/2 रकबा 7.020 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन दिया गया था और इसका उल्लेख उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी आवेदन में भी किया है । आदेश के प्रथम पृष्ठ पर भी उक्त दोनोंखसरा नंबरोंका उल्लेख है । परंतु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6-6-18 को पारित अंतिम आदेश में, आदेश के अंतिम पृष्ठ की 7 वीं लाइन में टंकण की त्रुटिवश खसरा नं0 192/2 रकबा 7.020 का उल्लेख नहीं हो पाया है । अपीलार्थिनी अधिवक्ता द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार कर आदेश में तदनुसार संशोधन किए जाने का निवेदन किया गया । विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है । उपस्थित शासकीय अधिवक्ता को उक्त त्रुटि को संशोधित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है । अत: न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि इस प्रकरण में दिनांक 6-6-18 को पारित आदेश के अंतिम पृष्ठ की 7 वीं लाइन में "आवेदित भूमि के स्थान पर भूमि" की जगह "आवेदित भूमि खसरा नं0 192/2 रकबा 7.020 हैक्टर एवं" पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । (3) प्रशा0 सदस्य	